न्यायालयः राकेश कुमार–III

अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–906 / 2026

सुपौल थाना कांड सं0– 586 / 2018

	मो0 इब्राहीम पे0 स्व0 मो0 हकीम अंसारी **सा0– खरैल पुनर्वास, वार्ड नं0 16 सुपौल पोस्ट वो थाना वो जिला–सुपौल.....आवेदक** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी**	
24 / 06 / 26	अभियुक्त मो0 इब्राहीम की ओर से सुपौल थाना कांड संख्या– 586 / 2018 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद मंडल ने निवेदन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त को गंदी राजनीति के तहत् प्रसंगाधीन कांड में फंसाया गया है तथा उनकी इस कांड में कोई संलिप्तता नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379, 307 भा0दं0वि0 के तहत् लगाया गया आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है तथा धारा 307 भा0दं0वि0 का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि प्रस्तुत कांड का पलटा मुकदमा सुपौल थाना कांड सं0 592 / 2018 दर्ज है तथा चिकित्सक द्वारा जख्मियों के बदन पर साधारण प्रकृति के जख्म भोथरे हथियार से कारित होना बताया गया है। प्रार्थी अभियुक्त धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों को मानने एवं सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का निवेदन करते है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है, अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद, सूचक मो0 सलाम अंसारी के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 341, 323, 324, 307, 385, 379, 504, 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 10 / 10 / 2018 के रात के करीब 7.30 बजे एकाएक मो0 रफीक, मो0 हकीक अंसारी, मो0 इरशाद अंसारी, मो0 सफीक अंसारी, मो0 इजहारूल अंसारी, मो0 इब्राहिम अंसारी मिलकर लाठी, लोहा के रॉड, फरसा एवं थ्रीनट से लैश होकर मिलन मंदिर चौक स्थित सिलाई दुकान पर आकर गाली देते हुए मो0 रफीक अंसारी अर्फ मुखिया ने कहा कि साले रंगदारी में 5000 रूपया नहीं देने का मजा चखा देते है। वे सभी सूचक को पकडकर लप्पड–थप्पड़ मुक्का से मारपीट करने लगे। सूचक का पुत्र मो0 तबरेज उसे बचाने आया तो मो0 रफीक अंसारी उर्फ मुखिया ने उसके पुत्र मो0 तबरेज पर जान मारने की नियत से फरसा से वार कर दिया जिससे उसके पुत्र मो0 तबरेज का सिर कट गया वो खून बहने लगा तथा वह फिर से दूसरी बार प्रहार किया जो सिर पर लगा तथा उसका पुत्र बेहोश होकर जमीन पर गिर गया वो खून बहने लगा तथा उसके दुकान के गल्ला से मो0 सफीक अंसारी ने 10,000 रूपया निकाल लिया। मो0 हकीम अंसारी सूचक के हाथ से एक घड़ी टाइटन कीमत 1700 / –रूपया छीन लिया। मो0 इरशाद अंसारी ने ओली मोहम्मद अंसारी को भी लाठी– रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया। हल्ला पर आसपास के लोग दौड़कर आये और बीच बचाव किये। जख्मी हालत में सूचक के पुत्र मो0 तबरेज को सदर अस्पताल सुपौल लाया गया जहां ईलाज चला। सूचक का कहना है कि मो0 रफीक अंसारी उर्फ मुखिया वगैरह काफी दबंग वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी में प्रार्थी अभियुक्त पर सूचक एवं उसके पुत्र के साथ मारपीट कर जख्मी करने एवं दुकान से रूपया, घड़ी वगैरह ले लेने के आरोप में दर्ज कराया गया है। सूचक ने अपने पुनः बयान कंडिका 7 एवं साक्षियों ने कंडिका 5 एवं 6 में प्राथमिकी व घटना का समर्थन किया है। कंडिका 21, 22 एवं 23 में जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध है जिससे	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार–III

अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–906 / 2026

सुपौल थाना कांड सं0– 586 / 2018

24 / 06 / 26 **लगातार**	स्पष्ट होता है कि चिकित्सक ने सभी जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति को बताया है। कंडिका 63 से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध इस कांड के अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मारपीट के दौरान दोनो पक्षों के लोग जख्मी हुए थे तथा प्रस्तुत वाद का पलटा मुकदमा सुपौल थाना कांड सं0 592 / 2018 भी दर्ज है। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद के सूचक की मृत्यु हो गयी है एवं उभय पक्षों के बीच सुलह समझौता भी हो गया है तथा सुलहनामा आवेदन अभिलेख पर संलग्न है। कांड के सह अभियुक्तगण मो0 रफीक उर्फ मो0 रफीक अंसारी उर्फ मुखिया, मो0 इरसाद अंसारी एवं मो0 ईजहारूल हक उर्फ मो0 हकीक अंसारी को पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1761 / 2025 दिनांक 22 / 01 / 2026 के मार्फत जमानत की सुविधा प्रदान की गयी है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह विदित होता है कि प्रार्थी अभियुक्त का मामला जमानत प्राप्त अभियुक्त से बेहतर स्थिति में है, इसलिए प्रार्थी अभियुक्त मो0 इब्राहीम की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रार्थी अभियुक्त की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में निम्न न्यायालय अभियुक्त को मो0 10,000 रूपये के समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधिन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि प्रार्थी अभियुक्त का एक जमानतदार उसके माता / पिता / नजदीकी रिस्तेदार होंगे साथ ही ; 1. प्रार्थी अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करते समय विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेंगे कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेंगे तथा यदि वे इस तरह के अपराध में संलिप्त पाये जाते हैं तो विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा इनका बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त को बंध पत्र पर मुक्त करने के पश्चात् प्रार्थी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का सत्यापन करा लेंगे एवं प्रार्थी अभियुक्त का यदि कोई आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो विद्वान न्यायालय प्रार्थी अभियुक्त का बंधपत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 3. प्रार्थी अभियुक्त वाद के विचारण में सहयोग करेंगे। लेखापित (राकेश कुमार– III) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	